

-: सूचना :-

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला के पत्रांक स्था/2026/2531 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय से आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु न्यायक्षेत्र में पदस्थापित आशुलिपिक ग्रेड तृतीय की विभागीय परीक्षा लिये जाने हेतु इस न्यायक्षेत्र की प्रशासनिक समिति को अधिकृत कर अनुमति प्रदान की गई है एवं नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने के निर्देश दिये हैं। अतः आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 (यथा अद्यतन संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में कार्यरत विद्यमान आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय में से, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा व हिन्दी/अंग्रेजी में कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा ली जायेगी, जिसके लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, इस सूचना के साथ संलग्न प्रारूप में, दिनांक 20-08-2026 के कार्यालय समय तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिये। आवेदन पत्र सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अग्रेषित करवा कर प्रेषित किये जायें। आवेदन पत्र पर स्वयं का पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगायें तथा राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित करवायें।

(1)- पात्रता :-

- 1- आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये आवेदक को जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में किसी अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पद पर कार्यरत होना चाहिये। ऐसा अभ्यर्थी (आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय) परिवीक्षाधीन नहीं होना चाहिये।
- 2- राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 के नियम 14A के अनुसार "Disqualification for promotion :- A Government Servant shall be disqualified for promotion for three recruitment years from the date his promotion becomes due after commencement of these rules, if he has more than two children. Provided that if a Government servant had single child on the date of commencement of these rules but more than one child are born in a single subsequent delivery, the children so born shall be treated as one while counting the total number of children. Provided further that for purpose of this rule birth of a child within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification. Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted. Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.
(Insertion of Rule 14A after Rule 14 vide Notification No. F.3(33)DOP/A-II 85 Date 6.7.2010)
इस सम्बन्ध में आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में, 50/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर एक शपथ पत्र (नोटरी द्वारा नियमानुसार सत्यापित किया हुआ हो) आवेदन के साथ प्रेषित करना होगा।

(2)- परीक्षा :-

अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा क्रमशः 75 शब्द एवं 85 शब्द प्रति मिनट की गति से ली जायेगी तथा साथ ही 8000 की-डिप्रेशन प्रति घन्टा की गति से कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा (8000 key depressions per hour in Hindi/English Typing on computer) जो कि **Mangal Font (Unicode Devanagari)** में ली जायेगी।

हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा हेतु आवेदक को पेन्सिल तथा पेन साथ में लाना होगा तथा श्रुतिलेख को कम्प्यूटर पर टंकित कर लिप्यान्तरित (Transcript) करना होगा। आशुलिपिक की नोट बुक (स्टेनो-डायरी) इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी प्रकार कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा (Speed Test of Hindi/English Typing on computer) हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर, कागज इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

आशुलिपि की श्रुतिलेख गति परीक्षा एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा **दिनांक 30-08-2026 (रविवार)** को ली जायेगी।

अभ्यर्थियों की सूची व रोल नम्बर, परीक्षा स्थल, परीक्षा समय इत्यादि की सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला के सूचना पट्ट पर **दिनांक 24-08-2026** को लगा दी जायेगी। अतः अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व जानकारी प्राप्त कर ले। पृथक से किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

(3)- अन्य :-

परीक्षा का परिणाम बन्द लिफाफे में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला को प्रेषित किया जायेगा।

किसी भी अभ्यर्थी को हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा व कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में भाग लेने के लिये इस कार्यालय द्वारा यात्रा भत्ता या अन्य किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाएगी।

अपरिहार्य कारणों से परीक्षा निरस्त करने अथवा परीक्षा कार्यक्रम संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला का रहेगा।

यह सूचना न्यायालय की वेबसाइट <https://jodhpur.dcourts.gov.in> व माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष
प्रशासनिक समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला

क्रमांक : 02-05

दिनांक : 14.08.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला।
- 2- सूचना पट्ट, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला।
- 3- जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालय जरिये ईमेल
- 4- सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 5- कार्यालय प्रति

अध्यक्ष
प्रशासनिक समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला

आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा हेतु आवेदन पत्र

फोटोग्राफ

- 1- नाम :
- 2- पिता का नाम :
- 3- शैक्षणिक योग्यता :
- 4- वर्तमान पदस्थापित न्यायालय का नाम :
- 5- सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि (अंकों व शब्दों में) :
- 6- वर्तमान पद पर स्थाई/अस्थायी/प्रोवेशनर :
- 8- सन्तानों की संख्या तथा उनकी जन्म-तिथि :

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

क्रमांक :

दिनांक :

इस कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत उक्त कर्मचारी का आवेदन पत्र अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति, (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जोधपुर जिला को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षर व मोहर

प्रारूप

—: शपथ पत्र :-

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... यह
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि दिनांक 6-7-2010 के पश्चात् मेरी
तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... यह
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्त्ता

सत्यापन :- मैं, ... पुत्र/पुत्री निवासी
..... आज बमुकाम जोधपुर में
शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य
मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य हैं, इसका कोई भाग गलत नहीं है, न ही कुछ
भी छुपाया गया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर